

राजस्थान सरकार
राजरच (ग्रुप-6) विभाग

क्रम सं. 9(12) राज-6/18/२५

जयपुर, दिनांक: ०६-०५-१४

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजरच अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (वर्ष 1982 का अधिनियम सं 25) की धारा 84 के अधीन प्राधिकरण की वसूली योग्य रकम को भू-राजरच की बकाया के रूप में वसूली के लिए जिला कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

०६/०५/१४

(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सचिव, मा० राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक०६-०५-१४..... प्रकाशन हेतु।
11. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. रक्षित पत्रावली।

०६/०५/१४

संयुक्त शासन सचिव